न्यायालय श्रीमान् मध्यप्रदेश राजस्व मंण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

R 5015-II/16

1. अयोध्या प्रसाद तनय श्री कालिकादीन

2. बृन्दावन तनय श्री रामस्वरूप

दोनों निवासी ग्राम खाड़ा तहसील व जिला अनूपपुर (म0प्र0)

---अपीलांटगण

बनाम

1. श्रीमती गुलाब देवी पत्नी प्रहलादराम निवासी ग्राम खाड़ा तहसील व जिला अनूपपुर (म0प्र0)

2. बालगोविन्द पूर्व पटवारी हल्का खाड़ा तहसील व जिला अनूपपुर (म0प्र0)

----रेस्पाडेन्टगण

श्री रामनरेश मिश्रा द्वारा आज दिनांक 13-1-16 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

अपील विरुद्ध आदेश न्यायालय कमिश्नर साहब शहडोल संभाग शहडोल द्वारा प्रकरण कमांक 35/अ-94/2015-16मे पारित दिनांक 14.12.15

अपील अन्तर्गत धारा 35(4) म.प्र.भू.रा.सं. 1959ई0

मान्यवर,

अपील के आधार निम्नलिखित हैः-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय कमिश्नर साहब द्वारा पारित निर्णय व आदेश विधि प्रकिया एवं प्रकरण मे आए तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5015–दो/2016 जिला अनूपपुर

आयोध्या प्रसाद आदि विरूद्ध श्रीमती गुलाब देवी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–2–2016	आवेदक द्वारा यह निगरानी आयुक्त शहडोल संभाग के प्रकरण कमांक 35/अ–94/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 14–12–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आयुक्त के आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 35(3) के अन्तर्गत आवेदन 28 दिन विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त ने पुर्नस्थापन आवेदन अमान्य किया है। आवेदक अभिभाषक ने तर्क में बताया कि आवेदक दिनांक 23–6–14 से 30–6–14 तक अस्वस्थ रहा जिसके कारण वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका। उनके द्वारा प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की तथा यह भी तर्क किया कि उक्त दिनांक को उनके अभिभाषक भी उपस्थित नहीं हो सके थे, परन्तु प्रकरण का निराकरण तकनिकी आधार पर न करते हुये गुण–दोष पर किया जाना चाहिए। आवेदक अभिभाषक के तर्कों से सहमत होते हुये कि अभिभाषक की त्रुटि के लिए पक्षकार को दण्डित नहीं किया जाना चाहिए। अतः आयुक्त का आदेश दिनांक 14–12–15 निरस्त किया जाकर आयुक्त को इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रत्यावर्तित किया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत पुर्नस्थापन आवेदन स्वीकार करते हुये उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत प्रकरण का निराकरण गुण–दोष पर करें। (डॉ0 मधु खरे) सदस्य	